



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)
(A Central University established by the Central University Act., 2009 NO.25 of 2009)
Web Site – www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260342, fax No. 07752-260148,154


क्रमांक 267/अका./2021

बिलासपुर, दिनांक 17 NOV 2021

कार्यालयीय ज्ञाप


कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय परिसर में आगमन प्रतिबंधित किया गया था। विश्वविद्यालय चरण बद्ध रूप से विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परिसर में आने की अनुमति प्रदान कर रहा है। इसी क्रम में स्नातक स्तर के पाठयक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की परिसर में कक्षाये (Offline Mode) दिनांक 04-01-2022 से प्रारंभ की जायेंगी।

आदेशानुसार


कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रतिलिपि :-

- 1- कुलपति/कुलसचिव जी के सचिव/निज सहायक को मान0कुलपति/कुलपति जी के सूचनार्थ।
- 2- अधिष्ठाता, समस्त विद्यापीठ, गुरु घासीदास वि0वि0बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
- 3- विभागाध्यक्ष, समस्त शिक्षण विभाग, गुरु घासीदास वि0वि0बिलासपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4- छात्रावास अधीक्षक(महिला/पुरुष) गु0घा0 वि0वि0बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- समन्वयक,आई.टी. सेल विश्वविद्यालय वेबपटल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- 6- विश्वविद्यालय यंत्री, गु0घा0 वि0वि0बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं छात्रावासों के आवश्यक मरम्मत कार्य कराने की कार्यवाही हेतु।
- 7- सहायक कुलसचिव प्रशासन विभाग की ओर सूचनार्थ।
- 8- कार्यालय प्रति।


सहा.-कुलसचिव (अका.)